आदेश ज्ञापांक- स0क0निग0-120/2018-...../ पटना, दिनांक .....

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: आदेश ::-

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 228 of 2023 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2026 के अनुपालन में श्री दिवेश कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सुपौल) द्वारा समर्पित पुनर्विचार याचिका पर विचार एवं निर्णय।

श्री दिवेश कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सुपौल) के विरुद्ध मुजफ्फरपुर जिले में संचालित 'बालिका गृह, मुजफ्फरपुर' के अपने कार्यकाल के दौरान भेजे गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में कभी भी बालिका गृह में आवासित बालिकाओं के साथ हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न अथवा अन्य किसी गंभीर घटना का उल्लेख नहीं करने तथा इन तथ्यों को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाने के संबंध में आरोप गठित किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) संस्था की "कोशिश" टीम द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में उक्त बालिका गृह में बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न एवं गंभीर दुर्व्यवहार की घटनाओं का खुलासा होने के पश्चात विभाग द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में श्री शर्मा पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 1939, दिनांक 20.03.2020 के माध्यम से श्री शर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के प्रावधानों के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वर्षों के लिए कालमान वेतनमान के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति (जिस दौरान कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी) की शास्ति अधिरोपित की गई थी तथा तत्पश्चात तत्कालीन विशेष सचिव के आदेश ज्ञापांक 4516, दिनांक 15.12.2020 द्वारा उनके समीक्षा आवेदन को अस्वीकृत किया गया था।

श्री शर्मा द्वारा उपर्युक्त दंडादेश एवं समीक्षा आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 228 of 2023 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.07.2026 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"After hearing the parties, it transpires to this Court that the Reviewing Authority has not considered a single point which is made by the petitioner at the time of consideration of his review petition. It further transpires to this Court that an evasive order has been passed. It is made clear that the Reviewing Authority is a Quasi Judicial Authority and he suppose to pass a reasoned and speaking order, which is completely lacking in the present case.

Therefore, under the aforesaid circumstances, this Court hereby set aside the order passed by the Reviewing Authority dated 15.12.2020 contained in Memo No. 4516 (Annexure- 27). The Reviewing Authority is hereby directed to pass a fresh and reasoned order considering all the points raised by the petitioner in the review petition. The petitioner shall be at liberty to appear before the Appellate Authority/Reviewing Authority within 30 days from today and the Appellate Authority/Reviewing Authority is directed to take decision after granting opportunity of hearing to the petitioner and then pass final order within 90 days from the date of production of a copy of this order.

Accordingly, with the aforesaid direction, this writ petition stands disposed off."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री दिवेश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 28.07.2026 को विभाग के समक्ष पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार के निदेशानुसार श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका पर दिनांक- 16.10.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में श्री शर्मा की उपस्थिति में सुनवाई की गई।

उक्त सुनवाई के दौरान श्री शर्मा द्वारा विभाग के समक्ष दिनांक-28.07.2026 को प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका पर ही विचार करने का अनुरोध किया गया। श्री शर्मा का तर्क है कि विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के निदेशानुसार सभी तिथियों पर उपस्थित होकर सहयोग किया गया, फिर भी कार्यवाही ससमय पूरी नहीं की गई और मुझे 01 वर्ष 08 माह 17 दिनों तक लंबी अवधि तक निलंबित रखा गया। वास्तविकता यह है कि मेरे विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत एवं असत्य हैं तथा किसी भी आरोप को प्रमाणित करने के लिए विभाग द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप पुनर्विचार करते हुए मुझे दोषमुक्त किया जाए। चुकि अनुशानिक कार्यवाही निर्धारित वैधानिक प्रावधानों, नियमों और प्राकृतिक न्याय के पूर्ण पालन के साथ संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी ने साक्ष्यों, अभिलेखों और उपलब्ध रिकॉर्ड्स की गहन विवेचना के उपरांत ही अपने जांच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया है। मात्र लंबी अवधि तक निलंबन या असंतोष व्यक्त करने मात्र से गंभीर प्रशासनिक दायित्वहीनता के आरोपों को निराधार नहीं माना जा सकता।

श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि TISS की रिपोर्ट आने से पहले मुझे बालिका गृह में हो रही अवांछनीय घटना की कोई जानकारी नहीं थी। जब मुझे रिपोर्ट मिली, तो मैंने सीबीआई जांच में सहयोग किया और न्यायालय द्वारा भी अन्य कर्मियों को दोषी पाया गया। चूंकि निरीक्षण के दौरान वहां महिलाकर्मी भी उपस्थित रहती थीं, इसलिए बालिकाएं मुझे सही जानकारी नहीं दे पाईं। जिस मामले की जानकारी मुझे प्राप्त ही नहीं हुई, उसके लिए मुझे दोषी ठहराना प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। यह तर्क पूरी तरह से उनके अपने पदीय दायित्वों से पल्ला झाड़ने का प्रयास है। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक के रूप में जिले के बाल देखरेख संस्थानों का प्रभावी अनुश्रवण, निरीक्षण और वहां रह रहे बच्चों की सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करना उनका प्रत्यक्ष सांविधिक दायित्व था। उनके द्वारा चार बार बालिका गृह का निरीक्षण किये जाने के बावजूद जॉच में इतनी गंभीर अनियमितता को वे नहीं जान पाये जबकि विभागीय स्तर से TISS द्वारा Third Party के रूप में मामले को उजागर किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा जॉच के रूप में मात्र खानापूर्ति की गई। श्री शर्मा की इसी लापरवाही और उदासीनता के परिणामस्वरूप वहाँ आवासित निर्दोष बालिकाओं को लंबे समय तक अमानवीय प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न एवं गंभीर यातनाओं की पीड़ा झेलनी पड़ी। यह तर्क श्री शर्मा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्यक समीक्षोपरांत ही आरोपों को प्रमाणित किया गया था।

श्री शर्मा द्वारा बताया गया कि TISS प्रतिवेदन से स्थिति स्पष्ट होने के बाद मेरे द्वारा सर्वप्रथम गोपनीय ढंग से बालिकाओं का सफलतापूर्वक अन्यत्र स्थानांतरण कराया गया तथा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके उपरांत भी मैंने डेढ़ वर्षों तक सीबीआई एवं न्यायालय को हरसंभव सहयोग प्रदान किया। अतः मेरे इन कार्यों और तत्परता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। विभाग को TISS का प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2018 को ही प्राप्त हो चुका था, परंतु विभाग द्वारा 26.05.2018 को इसे उपलब्ध कराया गया। विभागीय स्तर पर हुई इस देरी के कारण बच्चों को सुरक्षित करने में विलंब हुआ, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चुकि आवेदक द्वारा TISS रिपोर्ट मिलने के बाद बालिकाओं के स्थानांतरण और प्राथमिकी दर्ज कराने में दिखाई गई तत्परता का संज्ञान अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूर्व में ही लिया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप ही उन्हें "दोषियों से संलिप्तता के गंभीर आरोपों" से संदेह का लाभ देते हुए मुक्त रखा गया है। परंतु, घटनोत्तर (Post-incident) की गई कार्रवाई आवेदक को उनके पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान चार निरीक्षणों में बरती गई घोर लापरवाही, उदासीनता और कर्तव्यहीनता के दायित्व से पूर्णतः मुक्त नहीं करती, किसी

अन्य माध्यम से जानकारी मिलने के बाद जो कार्रवाई की गई वो उनके प्रशासनिक दायित्व की विफलता की खानापूर्ति का प्रयास मात्र थी। यह तर्क श्री शर्मा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्यक समीक्षोपरांत ही आरोपों को प्रमाणित किया गया था। अतः यह बिंदु अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक अपने स्तर पर स्वतंत्र निरीक्षणों के दौरान जमीनी वास्तविकताओं को भांप पाने में विफल रहने की अपनी मूल विफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री शर्मा का द्वारा बताया गया कि शास्ति आदेश के पांचवें अनुच्छेद में मुझे 'संदेह का लाभ' देने की बात कही गई है, लेकिन इसके बावजूद मुझे दंडित किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार संदेह का लाभ मिलने पर आरोपित को दोषमुक्त किया जाना चाहिए, न कि दंडित। वातानुकूलित कमरे में बैठकर बिना साक्ष्य के मुझे दंडित करना सीबीआई जांच पर प्रश्नचिह्न लगाने जैसा है। चुकि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आवेदक को प्रत्यक्ष आपराधिक संलिप्तता (Complicity in crime) के बिंदु पर संदेह का लाभ दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बाद में बालिकाओं के स्थानांतरण और प्राथमिकी में सहयोग किया था; किंतु उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान बरती गई स्पष्ट कर्तव्यहीनता, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता प्रमाणित पाई गई है। आपराधिक संलिप्तता से संदेह का लाभ मिलना विभागीय अनुशासनिक नियमों के तहत प्रशासनिक लापरवाही के लिए शास्ति (दंड) दिए जाने से बाधित नहीं होता है।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 228 of 2023 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2026 के आलोक में श्री दिवेश कुमार शर्मा को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा सुनवाई के दौरान श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत तर्कों की विभाग स्तर पर अत्यंत बारीकी से, निष्पक्षतापूर्वक एवं विधिवत समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आवेदक द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आरोपों के संबंध में मूलतः वही पुराने एवं निराधार तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर अनुशासनिक कार्यवाही एवं संचालन पदाधिकारी के स्तर पर पहले ही विस्तार से विचार किया जा चुका है। आवेदक अपने निरीक्षण दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता के आरोपों से मुक्त होने योग्य कोई भी ठोस एवं विधिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूर्णतः असमर्थ रहे हैं।

अतः माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सम्यक विचारोपरांत श्री दिवेश कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सुपौल) द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को निराधार एवं असत्य पाते हुए एतद्द्वारा पूर्णतः अस्वीकृत (Reject) किया जाता है।

उक्त पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

दिनांक-16.10.2026

ज्ञापांक- स0क0निग0-120/2018-5948

प्रतिलिपि: निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/ जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ सुपौल/ उप सचिव (स्था0), समाज कल्याण विभाग/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ श्री दिवेश कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सुपौल एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/26

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग